NATION TAX MARKET

EMAIL/REG. AD

प्रधान आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर
CGST & CENTRAL EXCISE COMMISSONERATE, JAIPUR
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)
NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR – 302005 (RAJ.)
EMAIL: ccu-cgst.jpr@gov.in (कैडर कंट्रोल यूनिट) Telefax: 0141-2385813

फा.सं. II–31(02)सीसीयू/जेपीआर/2023/759 दिनांकः 10.07.2023

ज्ञापन (MEMORANDUM)

निम्नलिखित उम्मीदवारों को वेतनमान पी.बी.–2 रू. 9300–34800 तथा ग्रेड वेतन रू. 4600/– {पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू 44900–142400 में लेवल 7 (Level-7 in the Pay Matrix Rs. 44900–142400)} एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में निरीक्षक, सी.जी.एस.टी. (ग्रुप–ब, अराजपत्रित) के पद पर **अस्थायी नियुक्ति प्रस्ताव** दिया जाता हैः–

S. No.	Name of Candidate S/Sh/Ms.	Date of Birth	Category	Appointment Order No. & Date
1	NARENDRA NAIN	11-05-1999	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/84410 DT.10.07.2023
2	SARFRAJ KATHAT	13-04-1999	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/84411 DT.10.07.2023
3	CHOTHA RAM JANGID	25-01-2000	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/84412 DT.10.07.2023
4	NAKHAT DAN	29-06-1996	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/84413 DT.10.07.2023

उपरोक्त नियुक्ति एनक्जर–''अ'' में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तो के अनुसार रहेगी :–

1. उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उनकी इस विभाग में सेवा बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये समाप्त कर दी जायेगी और इस प्रकार का असत्य तथ्य/ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धो के तहत् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।
2. उनका निरीक्षक पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा। उन्हें दो वर्ष के अन्दर स्थायीकरण हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा विभागीय परीक्षण नियमावली के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
3. उनकी निरीक्षक श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
4. DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 15 और 18 के अनुसार उनकी परिवीक्षा की अवधि की उक्त दशा में ऐसी अवधि या अवधियो (कुल परिवीक्षा की अवधि की निर्धारित अवधि से दोगुनी से अधिक नहीं) के अनुसार बढाई जा

सकती है: (क) निर्धारित प्रशिक्षण से नहीं गुजरना, (ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना या (ग) किसी भी तरह की छुट्टी का लाभ उठाने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करना।

5. वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं तथा वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद एंव सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र संख्या ए.32022/19/2008–प्रशा.तृतीय.ए दिंनाक 19.11.2010 के अनुसार उपरोक्त उम्मीदवारों की All India Transfer Liability रहेगी।
6. यदि वे संलग्न एनक्जर–''अ'' व उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो दिनांक **08.08.2023** को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निरीक्षक पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्नः– एनक्जर–''अ''

–हस्ता. -
(सी. के. जैन)
प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. अवर सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, Gr. Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi – 110066 को उनके पत्र F. No. A-12034/SSC/13/2021-Ad.III B दिनांक 02.05.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर
3. अपर आयुक्त, कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. (जयपुर परिक्षेत्र) जयपुर।
4. अधीक्षक(प्रशा./गोप.), कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु.(जयपुर परिक्षेत्र) जयपुर।
5. मु.ले.अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी/प्रशा. अधिकारी (स्था./मु.) अधीक्षक(सत), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/ अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/ अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
6. वेतन एंव लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
7. निजी प्रति पंजीकृत डाक द्वारा उक्त सूची के अनुसार
8. निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका / गार्ड फाईल / नोटिस बोर्ड/वरीयता सूची।
9. मंहा सचिव, निरीक्षक एसोसिएशन, जयपुर।
10. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु, आयुक्तालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

चेतन जैन
(सी. के. जैन)
प्रधान आयुक्त